



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141-5114117, E-mail : jdagr_wuc@rediffmail.com

क्रमांक एफ 8()/आ.कृ./जउप्र/ डिग्गी/2017-18/2003-2090
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/
जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी।

दिनांक : 17-05-2017

विषय:- वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई/राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत डिग्गी निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन के दिशा निर्देश।


प्रसंग:- कृषि निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 434-594 दिनांक 24.04.2017।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई/राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में डिग्गी निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन के क्रम में जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु योजनान्तर्गत दिशा निर्देश मय लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं।

वर्ष 2017-18 में डिग्गी निर्माण का कार्यक्रम जिला सिंचाई योजना में अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर लिया जावेगा। वर्ष 2017-18 में ऑन-लाईन प्राप्त आवेदनो पर ही अनुदान प्रक्रिया की कार्यवाही की जावे। माह जून-जुलाई, 2017 में शिविर आयोजित कर कृषकों से डिग्गी निर्माण के ऑन-लाईन अधिकाधिक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

दिशा निर्देशों के अनुसार प्रगति प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई-मेल व हार्ड कापी में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त कृषि

दिनांक : 17-05-2017

क्रमांक एफ 8()/आ.कृ./जउप्र/ डिग्गी/2017-18/2003-2090
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर/कोटा/जोधपुर।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोक रोड, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/उद्यान, मु0 जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन /आदान/विस्तार/आईसोपोम/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
18. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर/बीकानेर/कोटा खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई-मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
19. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
20. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
21. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
22. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागीय वैब साईट पर अपलोड करावे।
23. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर/कोटा।
24. परियोजना/उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी समीक्षाकर प्रगति ई-मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
25. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार),
26. जिला विस्तार अधिकारी/कृषि अधिकारी, बज्जू/मोहनगढ़/भीकमपुर/कोटा/बूंदी/ सुल्तानपुर।


(आर. डी. सिंह)
संयुक्त निदेशक कृषि (शष्प)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

डिग्गी निर्माण के मुख्य प्रभावी बिन्दु

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई/राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जिला सिंचाई योजना पर आधारित कार्यक्रम।
- कार्यक्रम जिला सिंचाई योजना मे अनमोदित कार्यक्रम के आधार पर।
- राज्य के समस्त नहरी क्षेत्र जहाँ सिंचाई बारी स्वीकृत हो।
- कृषक के पास न्यूनतम 01 हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि।
- डिग्गी निर्माण पर अनुदान का विवरण :-

डिग्गी की न्यूनतम भराव क्षमता	डिग्गी निर्माण पर अनुदान इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 2.00 लाख, जो भी कम हो	
4.00 लाख लीटर	पक्की डिग्गी निर्माण पर	प्लास्टिक लाईनिंग (कच्ची) डिग्गी का निर्माण
	राशि रुपये 350 प्रति घनमीटर भराव क्षमता	राशि रुपये 100 प्रति घनमीटर भराव क्षमता

- आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य।
- जिले को आवंटित लक्ष्यो का उप निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा जिले में स्थित उप जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जावेगा। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के द्वारा आवंटित लक्ष्यों का विभाजन ब्लॉकवार किया जावेगा जिसका अनुमोदन जिला कार्यालय के माध्यम से खण्डीय संयुक्त निदेशक कार्यालय से प्राप्त किया जावेगा।
- डिग्गी निर्माण से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग।
- अनुदान राशि कृषक के खाते मे जमा।
- निर्धारित लक्ष्यो मे 10-15 प्रतिशत श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से।
- सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र,
 - कुल लक्ष्यो मे से,
 - अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत,
 - अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत,
 - लघु/सीमान्त कृषकों को 33 प्रतिशत एवं महिला श्रेणी कृषकों को 30 प्रतिशत भागीदारी हेतु प्राथमिकता प्रदान की जावे।

- डिग्गी का सांकेतिक साईज वर्ष 2017-18
(अनुदान राशि की गणना सिंचाई जल की भराव क्षमता के आधार पर की जावेगी)

क्र. सं.	भराव क्षमता (लाख लीटर में)	आकार (लम्बाई/ चौड़ाई/ गहराई (फीट में))	पक्की डिग्गी सीमेंट, ईट/स्टोन कंकरीट, बजरी से निर्मित		प्लास्टिक लाईनिंग (कच्ची) डिग्गी जिसमे आई.एस.आई. मार्का 250 जी.एस.एम. एम. एल.सी.एल. यूवी शीट/500 माइक्रोन एल.डी.पी.ई. शीट लगी हो		संभावित सिंचित क्षेत्रफल है0 में (सिंचाई गहराई 5.00 से.मी.)
			इकाई लागत (लाख रू0)	देय अनुदान (लाख रू0)	इकाई लागत (लाख रू0)	देय अनुदान (लाख रुपये)	
1	4	55 X 55X 10 25 X 25	3.50	1.40	1.70	0.40	0.80
2	8	70 X 70X 10 40 X 40	4.75	2.00	2.25	0.80	1.60
3	12	82 X 82X 10 52 X 52	6.00	2.00	3.25	1.20	2.40
4	16	92 X 92X 10 62 X 62	7.25	2.00	3.50	1.60	3.20
5	20	100 X 100X 10 70 X 70	8.00	2.00	3.75	2.00	4.00

- * उपरोक्त संक्षिप्त विवरण को ध्यान में रखते हुये संलग्न विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

